ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(2): 350-355
www.allresearchjournal.com
Received: 19-12-2019
Accepted: 17-01-2020

डॉ. मृत्युंजय कुमार
एम ए, एम फिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली, भारत।

Corresponding Author:
डॉ. मृत्युंजय कुमार
एम ए, एम फिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली, भारत।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में दलित और मानवाधिकार

डॉ. मृत्युंजय कुमार

सारांश
भारत में मानवाधिकार का विषय काफी विस्तृत और जटिल है। दलित समुदाय के साथ मानवाधिकार हनन में मूल रूप से जाति व्यवस्था, आर्थिक असमानता, राजनीतिक गैरबराबरी, सांस्कृतिक भेदभाव और जेंडर आधारित पक्षपात जैसी समस्याएं जुड़ी हैं। हालाँकि, सरकार और संविधान दोनों ने इसके लिए व्यापक कार्य किया और यह प्रयास आज भी जारी है। आजादी के बाद भारतीय संविधान में कई प्रकार के अनुच्छेदों का निर्माण किया गया ताकि दलित समुदाय के साथ शोषण और अत्याचार नहीं हों, लेकिन जाति आधारित संरचना इतनी ताकतवर संस्था है जिसके कारण आज भी दलित समुदाय के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे इस घटनाओं में कमी तो आ रही है लेकिन तुलनात्मक रूप से निम्न समाजिक समूह के साथ मानवाधिकार उल्लंघन की घटना रूक नहीं पा रही है। इस प्रकार की घटनाओं का दायरा भी काफी व्यापक है और इसका स्वरूप भी जटिल है। इस लेख में दलित का अर्थ अनुसूचित जाति से है। द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से यह लेख लिखा गया है। अध्ययन यह बताते हैं कि जाति और मानवाधिकार के बीच गहरा संबध है, और जाति व्यवस्था में सबसे निम्न पायदान पर आने वाले दलित समुदाय आज भी जाति आधारित भेदभाव का सामना कर रहे हैं, यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि कानूनी तौर पर सभी मनुष्य बराबर है।

संकेत शब्द: अनुसूचित जाति, जातिप्रथा, मानवाधिकार, अश्पृश्यता, भेदभाव, नैतिकता, सामाजिक मूल्य, न्याय ।

प्रस्तावना:
आधुनिक समाज की अवधारणा के साथ ही मानवाधिकार भी जुड़ा है। भारतीय समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकार का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैद्धान्तिक तौर पर बसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में मानवाधिकार शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि अनेकता में एकता का सिद्धांत भी मानवाधिकार के काफी करीब है। इन सभी सिद्धांतों के बाबजूद भारत में अनुसूचित जाति एक समुदाय के रूप में मानवाधिकारों से वंचित रहा है और इसकी गहराई में जाने पर पता चलता है कि इसके लिए भारतीय समाजिक संरचना ही जिम्मेदार है। भारतीय समाजिक संरचना में व्याप्त जाति व्यवस्था मानवाधिकार के विचार या सिद्धांत को कमजोर करता है। जाति व्यवस्था का सीधा संबंध तो हिन्दू समाजिक संगठन से है लेकिन किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था को हर धर्म में देखा जा सकता है। जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति के जाति का आधार जन्म होता है और वह व्यक्ति मृत्युप्रयत्न उसी जाति का होता है। इसीलिए कुछ समाजिक समूह जो जाति व्यवस्था के निम्न पायदान पर होते हैं, उनकी समाजिक स्थिति भी निम्न होती है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था मानवीय गरिमा के विरूद्ध होता है।
मानवाधिकार के समस्याओं को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा बखूबी समझा गया और इसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान को भी बनाया गया। आजादी के बाद कई ऐसे अनुच्छेद बनाये गए जो स्पष्ट रूप से मानवाधिकार के संकल्पना को पूरा करते हैं। भारतीय संविधान में भेदभाव और गैरबराबरी को कोई भी जगह नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान मावधिकार के उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा करता है। इन सारे प्रावधानों और सिद्धांतों के बाबजूद दलितों पर अत्याचार और शोषण होता है और इस संदर्भ में समाजशास्त्रीय रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि किन – किन समाजिक कारणों के कारण दलितों पर अत्याचार या शोषण होता है।

मानवाधिकार: एक परिचय
मानव अधिकार में मानवीयता का मूल्य का शामिल है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसमें किसी भी मनुष्य को सिर्फ मनुष्य होने के नाते बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जिनके लिए कोई भी प्रयास न करना पड़े। उच्च मानदंड के अलावे उच्च प्रकार का नैतिकता भी मानवाधिकार में शामिल होता है।

भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न और अन्याय की कोई घटना जो एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य के साथ किया जाता है या एक मनुष्य के साथ राज्य के द्वारा किया जाता है या एक समाजिक समूह के साथ दूसरा समाजिक समूह करता है, ये सभी मानवाधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। मानवाधिकार का क्षेत्र काफी विस्तृत और जटिल है जिसे परिभाषित करना कठिन है।

अर्जुन देव एवं अन्य के अनुसार, "मानवाधिकार को सामान्यतः ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपभोग करने और जिनकी रक्षा की अपेक्षा रखने का हक प्रत्येक मनुष्य को है। अतीत में सभी समाजों और संस्कृतियों ने कुछ ऐसे अधिकारों और सिद्धांतों की अवधारणा का विकास किया है जिनका आदर करना आवश्यक समझा गया है और जिनमें कुछ को सार्वजनीन माना गया है" । इसी संदर्भ में दलित समाज के मानवाधिकार को देखने की आवश्यकता है क्यूँकि जाति आधारित विषमता का आधार ऐतिहासिक है, और जिसका सीधा संबंध हिन्दू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था से ही है। अतीत से लेकर समकालीन समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी है और जिसका असर रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। अर्जुन देव एवं अन्य ने आगे कहा है कि "मानवाधिकार की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया में अठारहवीं सदी के अंतिम से पश्चिम के कुछ देशों में उदित हुए क्रन्तिकारी आंदलनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरंकुश और सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाओं को उखाड़ फेकनें के लिए इन क्रन्तिकारी आंदोलनों ने मनुष्य के अधिकारों को अपरिहार्य तथा पवित्र माना और अपने संघर्ष का ही उस व्यवस्था का भी, जिसकी स्थापना का प्रयत्न किया और आधार बनाया"। इसी संदर्भ में वे अमरीकी स्वतन्त्रता की घोषणा और फ्रांस की मनुष्य तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा का जिक्र करते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि उन्नीसवीं सदी का समाजवादी आंदोलन ने मानवाधिकार में एक नया तत्व जुड़ा, जिसमें वर्ग आधारित शासन की समाप्ति तथा समाजिक और आर्थिक समानता पर भी जोड़ था।

दिलीप सिन्हा के अनुसार, "अंग्रेजों ने 1215 के मैग्ना कार्टा में कुछ महत्वपूर्ण मानव अधिकारों के मूल का पता लगाया, जिन्हे अंग्रेजी सामंतों ने किंग जॉन से हासिल किया था। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, याचिका का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया भी शामिल हैं"। उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिकी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही फ्रांस में एक विशाल क्रांति आयी। इतना ही नहीं फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप के सबसे शक्तिशाली शासक परिवार को उखाड़ फेंका गया। इसी क्रांति में मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुयी और व्यक्तियों को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध के लिए कुछ प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार मिले। इसके घोषणा पत्र में यह कि ष्मानव स्वतंत्र जन्म लेते हैं और स्वतंत्र तथा बराबर अधिकार रखते हैं"।

अंतर्राष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश के अनुसार, "मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए अर्थात जो उसके राज्य अथवा राज्य के संविधान अथवा कानून की देन न होकर जन्मसिद्ध अधिकार समझे जाने चाहिए और जो मनुष्यों के विकास के लिए न्यूनतम दशाएँ माने जाते हैं। इसका सर्वप्रथम विधिवत निरूपण संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत एक घोषणापत्र में किया गया था। इसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा और रोजगार के अधिकार प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इनमें दासता, दास व्यापार, और जाति, रंग, लिंग, भाषा अथवा राष्ट्रीयता पर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध भी सम्मिलित है। इनका उद्देश्य प्रत्येक दशा और स्थिति में न्यूनतम मानव मूल्यों अर्थात मानवीयता के न्यूनतम स्तर को सुरक्षित रखना है और विश्व शांति को बल प्रदान करना है"।

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि मानवाधिकार एक प्रकार से व्यापक मुद्दों को शामिल करता है जो मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है।

जाति और मानवाधिकार

भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था और मानवाधिकार के बीच गहरा संबंध है। जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव अधिकारों और मानवता के विरुद्ध है। इसके सिद्धांतों में दलितों के प्रति अस्पृश्यता, भेदभाव, और अत्याचार निहित है। इस प्रकार से ये सारे मुद्दे मानवाधिकार से ही संबंधित है। इसीलिए मानवाधिकार के उल्लंघन में जाति आधारित पक्षपात शामिल है और बिना जाति व्यवस्था को समझे मानवाधिकार को भी समझा नहीं जा सकता है। दलितों के साथ होने वाला अधिकतर अत्याचार का जड़ जाति व्यवस्था है और इसी प्रकार के अत्याचार से दलितों तथा दलितों एवं गैर–दलितों के बीच समाजिक विभाजन भी होता है।

भारतीय समाज में जाति का आधार कर्म न होकर जन्म है और जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है। जन्म और जाति एक दूसरे से संबंधित है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जाति के आधार जो समाजिक विभाजन होता है यानि प्रत्येक जाति का अपना – अपना कार्यक्षेत्र निश्चित हो जाता हैं। लुईस ड्यूमो (स्वनपे क्नउवदज) जाति को सोपानक्रम के विचारधारा के रूप में देखते हैं। वे इसे समाजिक दूरी के रूप में भी देखते हैं और उनका मानना है कि जातियों के बीच श्रम विभाजन है जो कि पवित्रता और अपवित्रता से जुड़ी है। इस प्रकार वे आगे कहते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था में अनुक्रम (भ्पमतंतबील) इस प्रकार से जुड़ी है की इसी से तय होता है की किसी व्यक्ति का शादी या विवाह किस व्यक्ति से होगा या कोई व्यक्ति किस व्यक्ति से साथ भोजन करेगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाजिक स्तरीकरण में दलित समाज सबसे निचले पायदान पर आता है और हिन्दू समाजिक व्यवस्था में यह समाजिक समूह सर्वाधिक रूप से प्रदूषित समुदाय है। इसीलिए सूचिता एवं प्रदूषण (च्नतपजल दक च्वससनजपवद) की अवधारणा के अनुसार भी दलित समुदाय के साथ सर्वाधिक रूप से मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। समाजिक मानदंड दलित समुदाय के अनुकूल न होकर प्रतिकूल है।

जी.एस.घुर्ये ने जाति व्यवस्था के मुख्य विषेशताओं का उल्लेख किया है जिसमें समाज का खण्डनात्मक विभाजन, स्तरीकरण, खान–पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, जातियों की धार्मिक निर्योग्यतायें तथा विशेषाधिकार, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध शामिल है। घुर्ये के कथन से स्पष्ट है कि भारतीय जाति व्यवस्था और मानवाधिकार के बीच गहरा संबंध है और समाजिक पदानुक्रम में जो जाति सबसे निचले पायदान पर आता है, उस जाति या समाजिक समूह के साथ मानवाधिकार का न्याय भी नहीं हो पाता है।

दलित समाज के व्यक्तियों के द्वारा मानव अधिकार को प्राप्त करने हेतु संस्कृतीकरण के रास्ते को भी अपनाया गया। इसी संदर्भ में डॉ० एम. एन. श्रीनिवास ने कहा है कि "संस्कृतीकरण के प्रक्रिया के द्वारा कोई 'निम्न' हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह का व्यक्ति किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति–रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन–पद्धति को बदलता है" ।

संस्कृतिकरण के प्रक्रिया को मानवाधिकार के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए क्यूँकि निम्न जातियों के द्वारा यह एक प्रकार से मानवाधिकार में सहभागिता का ही प्रयास है। इसी संदर्भ में पश्चिमीकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। एम.एन.श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के बारे में लिखा है कि पश्चिमीकरण मूलतः ब्रिटिश राज्य के डेढ़ सौ वर्षों के शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिससे औधोगिक संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्यों आदि में विभिन्न स्तरों पर होने वाला परिवर्तन है। इसका अर्थ यह है कि जब भारत के लोगों के द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया गया तब उनके रहन–सहन, विचार, मूल्य, मानदंड और संस्कृति में अंतर

आया। अगर इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि पश्चिमीकरण के प्रक्रिया में मानवाधिकार का मूल्य भी शामिल है। इससे भी इंकार नहीं किया सकता है कि औपनिवेशिक काल में कई प्रकार के समाज सुधार भी हुए थे और आधुनिक शिक्षा का भी प्रारम्भ हुआ था।

भारतीय संविधान और मानवाधिकार

किसी भी मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ जीने का अधिकार है। इसके लिए किसी भी मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसकी उद्घोषणा फ्रांस की क्रांति में भी दिखाई देता है। इसीलिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है कि "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा, उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए, दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं"। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मानवाधिकार के मूलभूत मुद्दे को शामिल किया गया है। प्रस्तावना यह दिखाती है कि संविधान के उद्देश्य में सभी मनुष्य बराबर है और उसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल है। एक प्रकार से यह न्याय यह दिखता है कि समाज में गैर बराबरी या समाजिक अन्याय को यह संविधान प्रतिबंधित करता है। मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय जरूरी है। भारतीय दलित समाज ऐतिहासिक रूप से गैर बराबरी और समाजिक विषमता का शिकार रहा है, इसीलिए यह प्रस्तावना कई मायनों में जरूरी है।

भारतीय संविधान में मानवाधिकार को मौलिक अधिकार के साथ – साथ राज्य के नीति निर्देशक त्वत्त में देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के जीवन को स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह अधिकार राज्य के विरुद्ध तो होता है लेकिन न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इन अधिकारों के अभाव में मानवाधिकार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान व्यवहार करेगा। इतना ही नहीं आगे यह भी कहता है कि विधियों के समक्ष समान संरक्षण कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के भीतर ही अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समयदाय के लिए सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अगर अनुच्छेद 14 और 15 को देखा जाये तो यह पता चलता है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक मनुष्य बराबर है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से शोषण या अन्याय नहीं होगा।

विशेष रूप से दलित समुदाय के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी के अलावे विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया, और इसे मानवाधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 (4) यह कहता है कि राज्य सरकारें उन सभी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान करेगी और साथ में एक आधार पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी बनाया गया है। पिछड़े वर्गों में दलित समुदाय (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।

दलितों के लिए राजनैतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है जो एक प्रकार से राजनैतिक शोषण को कम करता है। अनुच्छेद 330 में लोक सभा (निम्न सदन) में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का प्रावधान है, और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वार्षिक रिपोर्ट (2016–17) के अनुसार, "अनुसूचित जातियों के सुरक्षात्मक विधानों के कल्याण के लिए संविधान में अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 5 में कहा गया है कि आयोग का कर्तव्य है कि वह संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करे और ऐसे सुरक्षात्मक उपायों के उल्लंघन ध अभावों की विशिष्ट शिकायतों में पूछताछ करे। इन सब बातों के अलावे अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया को देखे और इससे संबंधित मुद्दे के बारे में सिफारिश भी करें। अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों में समाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25 (2) (बी), आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद 23, 24 और 46, शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय – अनुच्छेद 15 (4), राजनीतिक सुरक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद 243, 330 और 332 और सेवा सुरक्षा के अंतर्गत 16 (4), 16 (4 ए) और 335 आता है"। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ जो मानवाधिकार का हनन का होता है, उसके निराकरण इस आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है।

मानवाधिकार के प्रति भारत भी जिम्मेदार राष्ट्र है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्तूबर, 1993 को हुआ था। इस आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप ही है जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण और संवर्धन से संबंधित राष्टीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया था और इसे 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के रूप में समर्थन दिया गया था। यह आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति भारत की जिम्मेदारी का प्रतीक और संवाहक भी है।

मानवाधिकार के हनन के कारण

दलितों के मानवाधिकार के हनन में मुख्य रूप से जाति व्यवस्था, गरीबी, अशिक्षा, कानून के बारे में जानकारी का अभाव, जन चेतना में कमी आदि जिम्मेवार है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दलितों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार प्रयास भी किये जा रहे हैं। इसी संदर्भ में रवि नायर का मानना है कि मानवाधिकारों के संदर्भ में जो भी सरकारी प्रयास हुए हैं वो लागू करने के स्तर पर एकदम विफल रहे हैं। उत्पीड़न निरोधक कानून के लागू न होने के चलते अत्याचार बढ़ता ही गया है। सुखदेव थोराट का मामना है कि "लगभग तीन चौथाई अनुसूचित जातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहाँ आय के मुख्य स्रोत या तो कृषि योग्य भूमि, मजदूरी या किसी प्रकार के गैर–कृषि स्वरोजगार की खेती है। गैर–कृषि स्वरोजगार करने के लिए

खेती और पूंजी के लिए कृषि भूमि तक पहुंच महत्वपूर्ण है। 1993–94 में सभी अनुसूचित जाति के परिवारों में केवल 19.12 प्रतिशत ने ही (स्वतंत्र) स्व–नियोजित श्रमिक के रूप में भूमि की खेती की, जबकि अन्य (यानी गैर–एससी ध एसटी) के रूप में प्रतिशत दोगुना, 42.12 प्रतिशत से अधिक था"। थोराट के इस कथन से पता चलता है कि दलित समुदाय के कुल आबादी का तीन चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसका अर्थ यह है कि आज भी दलित समुदाय काफी पिछड़ा है और समाजिक परिवर्तन के साथ – साथ समाजिक गतिशीलता का दर तुलनात्मक रूप से कम ही है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और जिसका सीधा संबंध भूमि से है। दलित समुदाय के पास अन्य समाजिक समूह की तुलना में कृषि भूमि भी कम है इसीलिए ये लोग सर्वाधिक रूप से भूमिहीन मजदूर हैं। जब आय कम होगी तो शोषण के मात्रा में भी वृद्धि होगी जिसका सीधा संबध मानवाधिकार से ही है। सुखदेव थोराट और निधि सदाना के अनुसार, "2004–05 में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 45.7: की तुलना में अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच स्व–नियोजित उद्यम में लगे घरों का अनुपात 34.3: था, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 56.2: और ष्अन्यष् के लिए 61.4: है। शहरी भारत में, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य के बीच स्व–नियोजित परिवारों का अनुपात क्रमशः 29.4:, 26.3: 40.3: और 38.6: था, जो निजी पूंजी के स्वामित्व में एससी और एसटी के काफी कम हिस्से को दर्शाता है"। थोराट और सदाना के कथन से पता चलता है कि दलित समुदाय में अन्य समाजिक समूहों की तुलना में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस समाजिक समूह का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है उस समाजिक समूह के साथ कई स्तरों पर मानवाधिकार का हनन होता है। इसीलिए दलित समुदाय के साथ सर्वाधिक रूप से मानवाधिकार का हनन होता है। यह चिंता की स्थिति है।

थोराट ने शिक्षा के संबंध में कहा है कि 'स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आरक्षण की नीति के कारण उच्च शिक्षा में भी देखें तो दलितों के वहाँ पहुँचने में कुछ तो प्रगति हुई है लेकिन कई प्रकार की सुविधाओं के बावजूद भी आईआईटी और आईआईएम या उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इसके प्रमुख कारणों में गरीबी, सामाजिक विभेद, आर्थिक चुनौतियाँ और घर का माहौल भी जिम्मेदार है। इसकी वजह से और वर्गों की तुलना में इस वर्ग से एक छोटा सा तबका ही उच्च शिक्षा में जा पाता है। उच्च वर्गों में इसकी संख्या ज्यादा है क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है क्यूँकि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसका उन्हें लाभ मिलता आया है। थोराट ने आगे कहा है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रतिशत देखें तो एक ओर जहाँ उच्च जातियों में प्रवेश दर 10 प्रतिशत है तो दूसरी ओर अनुसूचित जातियों के लिए पाँच प्रतिशत ही देखने को मिलता है'। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कमी का सीधा संबंध मानवाधिकार से है। अशिक्षा अपने आप में कई प्रकार के समस्याओं को जन्म देता है और इससे मनुष्य अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में दलित समुदाय आज भी तुलनात्मक रूप से वंचित है जिससे इस समाजिक समूह में मानवाधिकार के हनन का समस्या सर्वाधिक है।

दलितों के मानवाधिकार के हनन में हत्या, अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार के अलावे रोजमर्रा के जीवन में शोषण और अन्याय शामिल होता है। इन सबके अलावे पुलिस के द्वारा भी दलित समुदाय के साथ अत्याचार किया जाता है।

अमर उजाला के एक रिपोर्ट के अनुसार, "जौनपुर ब्लॉक के श्रीकोट गांव में 26 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान बगल में बैठकर सवर्ण जाति के कुछ दबंगों ने बसाण गांव निवासी अनुसूचित जाति के युवक जितेंद्र दास की जमकर पीटाई कर दी थी। घायल जितेंद्र की पांच मई को देहरादून अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट देर से दर्ज करने की शिकायत पर कैंपटी थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया जा चुका है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अनुसूचित जाति के युवक जितेंद्र दास की मौत की जांच पड़ताल शुरू कर दी है"।

यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दलितों के साथ समकालीन समाज में भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है। समाज के भीतर आज भी जातिगत मानसिकता नहीं गयी है। पुलिस दलितों के मामले में सामान्तया संवेदनशील रवैया नहीं अपनाता है। दलितों के साथ होने वाले अधिकतर घटनाओं का संबंध जाति व्यवस्था से ही होता है। कानूनी तौर पर हर मनुष्य बराबर है लेकिन हकीकत में समाजिक विषमता आज भी मौजूद है।

कुलदीप नैय्यर ने दलित छात्रों के मानवाधिकार हनन के समस्या को काफी गंभीर बताया। उनका मानना है कि 'हमें दलित और वंचित छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है'। इतना ही उन्होंने आगे कहा कि 'भेदभाव के खिलाफ कानूनी कारवाई हो'। उन्हीं के अनुसार, "देश कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, जाति का भेदभाव कम नहीं हुआ है। हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में, दलितों को जिंदा जलाने की घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों दिल्ली के पास ही एक दलित परिवार को आग में जला देने का नजारा सामने आया"। इसके बाद उन्होंने इसी के संदर्भ में एक और उदाहरण का जिक्र किया। वे आगे लिखते हैं कि "देश की राजधानी में ही जेएनयू के एक छात्र ने फांसी लगा ली क्योंकि वह भेदभाव के उपहास को बर्दाश्त नहीं कर पाया। 28 साल के एमफिल छात्र ने जेएनयू में पढ़ने का सपना देखा था और सौभाग्य से प्रवेश पाने की अपनी चौथी कोशिश में कामयाब हो गया था। लोगों के मुताबिक, दक्षिण का रहने वाला मुथुकृष्णन एक विनम्र व्यक्तित्व और खुद में ही सिमटा रहने वाला छात्र था"। कुलदीप नैय्यर के कथन से यह स्पष्ट होता है कि देश के राजधानी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के भीतर जाति आधारित भेदभाव हुआ है। यह घटना एक प्रकार से यह दर्शाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मानवाधिकार का हनन होता है। वे यह भी मानते हैं कि कानून के द्वारा ही इसके ऊपर समाधान पाया जा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर जिला के एक स्कूल में दलित समुदाय के 35 छात्रों से स्कूल का शौचालयों को साफ करवाया गया और पीटने का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले को भारतीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया था।

इस प्रकार की घटना यह दर्शाती है कि शिक्षण संस्थान जो आधुनिक मूल्यों पर आधारित होती है और उससे समाजिक परिवर्तन का आशा की जाती है, वैसे संस्थानों में भी दलित आधारित भेदभाव हो रहा है। एक ओर जहाँ अनुच्छेद 15 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जाति, धर्म, जेंडर या प्रजाति के आधार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा लेकिन इस प्रकार का घटना यह भी दर्शाता है कि कानून और वास्तविकता के बीच दूरी बनी हुयी है।

हिंदी न्यूज 18 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के जातिगत अत्याचारों के आंकड़े बताते हैं कि "दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में 2015 में आंकड़ा 38,670 था लेकिन 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 40,801 हो गए और 2017 में में वृद्धि होकर 43,200 हो गए। यह आंकड़ा इस ओर इशारा कर रहा है कि दलित अत्याचार का मामला बढ़ रहा है"। अगर 2015 , 2016 और 2017 के आकड़ों को विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दलितों के साथ 21 वीं सदी में भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जी न्यूज चौनल के एक रिपोर्ट के अनुसार, "एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक,

"10 साल में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, 2006 में जहां प्रतिदिन दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के केवल तीन मामले दर्ज होते थे जो 2016 में बढ़कर 6 हो गए"। यह रिपोर्ट भी दर्शाती है कि अनुसूचित जाति के महिलाओं के बीच भी मानवाधिकार हनन का मामला बढ़ रहा है।

डीडब्ल्यू समाचार के अनुसार, "केरल में 24 वर्षीय केल्विन जोसेफ की ऑनर किलिंग के लिए जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया था, उन्हें अदालत ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले साल 28 मई को केरल पुलिस को केल्विन जोसेफ की लाश मिली थी। केल्विन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी, जो एक ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि केल्विन को पीट–पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था"।

केरल जैसे शिक्षित राज्य में जाति आधारित हिंसा यह दर्शाती है कि समकालीन समाज में जाति संस्था एक समाजिक संरचना के तौर पर कायम है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया और कानून का राज स्थापित किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि अस्पृश्यता का अस्तित्व कायम है और अस्पृश्यता का संबंध जाति व्यवस्था से है। जाति आधारित भेदभाव भी मानवाधिकार से ही संबंधित है। टी आर नवल के अनुसार, 'हिन्दू समाजिक व्यवस्था में समाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर आने वाले समाजिक समूह जिसे दलित या अछूत या अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, उसके साथ सर्वाधिक रूप से जातिगत हिंसा होता है। ये समाजिक समूह जाति और समाज के साथ बाकी हिस्सों के साथ भी अधिकारों और दायित्वों से जुड़े हैं। "अस्पृश्यता" की प्रथा इस रिश्ते की बड़ी विशेषता है। जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्यता के उद्भव का एक जटिल इतिहास है, जिसके मूल में थोड़ी सहमति या स्पष्टता नहीं है'।

निष्कर्ष

समकालीन समाज में भी जाति व्यवस्था का असर है। भारत के आजादी के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें सभी मनुष्य बराबर है लेकिन हकीकत में दलित समुदाय के साथ जाति आधारित भेदभाव और हिंसा की घटना होती रहती है। दरअसल, भारतीय समाज में समाजिक व्यवस्था का आधार जाति व्यवस्था रहा है इसीलिए कानून और अभ्यास के बीच काफी अंतर है। सामाजिक संरचना की बनावट ही कुछ ऐसी है जिससे कम शिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ रोजमर्रा के जीवन में पक्षपात होता है। दलित समाज की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफी दयनीय है। इस समाजिक समूह में भी समाजिक परिवर्तन और समाजिक गतिशीलता हो रहा है लेकिन आज भी यह समाजिक समूह अपने बुनियादी दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करते हैं। दलितों के खिलाफ उच्च–जाति समूहों के अलावे प्रभु जातियों के द्वारा भी कई प्रकार की हिंसा की जाती है जिसमें अस्पृश्यता और भेदभाव भी शामिल है। इसीलिए दलितों के संदर्भ में मानवाधिकार का विश्लेषण जरूरी है और इसी विश्लेषण के द्वारा यह पता चलता है की गरीबी, अशिक्षा के अलावे जन जागरण के द्वारा इसे रोका जा सकता है। मानवीय मूल्य के अलावे नैतिकता के उच्च आचरण के द्वारा दलितों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।

इना ही नहीं बल्कि दलितों के अधिकारों को मानवाधिकार के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। मानवाधिकार के हनन में दलितों की समाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति काफी हद तक जिम्मेदार है। दलित समुदाय के व्यक्तियों के गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सरकार को अपने दायित्व बहुत ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी सरकार के अलावे नागरिक समूह, मीडिया और जागरूक नागरिकों को अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव और सुप्ता दास* (1998), *मानव अधिकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।*
2. *वही.*
3. *दिलीप सिन्हा* (2016), *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार,* 7 *मार्च* (https://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail-hi.htm?448)
4. *अंतर्राष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश* (1994), *वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
5. *लुईस ड्यूमा*, (1980), *होमो हाईरारकस, यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो प्रेस, शिकागो।*
6. *जी.एस.घुर्ये*, (1950) *कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पॉपुलर बुक डिपो, मुम्बई।*
7. *एम एन श्रीनिवास* (1966), *सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस।*
8. *वही.*
9. *सुभाष कश्यप* (2001) *हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।*
10. *डी डी बसु*, (1998), *भारत का संविधान, प्रिंटिंग हॉल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*
11. *वही.*
12. *वही.*
13. *वार्षिक रिपोर्ट*, (2016-17), *राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
14. https://nhrc.nic.in.
15. *रवि नायर* (2006) *मानवाधिकार और दलित समाज की स्थिति, बीबीसी हिंदी।* (https://www.bbc.com/hindi/regionalnews/story/2006/12/061205_dalit_special_ravinair)
16. *सुखदेव थोराट*, (2004) *द हिन्दू सोशल आर्डर एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ़ दलित्स, क्रिटिकल क्वेस्ट, नई दिल्ली।*
17. *सुखदेव थोराट और निधि सदाना*, (2009) *कास्ट एंड ओनरशिप ऑफ़ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, जून।*
18. *सुखदेव थोराट*, (2006), *शिक्षा व्यवस्था और दलित समाज, बीबीसी हिंदी,* 5 *दिसंबर।*
19. *कुलदीप नैय्यर*, (2017), *दलित छात्रों से भेदभाव करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, प्रभासाक्षी* 22 *मार्च।*
20. https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2019/nov/24/human-rights-body-orders-magistrate-to-file-report-on-discrimination-against-dalit-children-2066409.html
21. *हिंदी न्यूज* 18 *चैनल*, (2019) *इस राज्य में सबसे ज्यादा होता है दलितों पर अत्याचार*, 22 *अक्टूबर।* (https://hindi.news18.com/news/knowledge/crimes-against-dalit-ncrb-data-of-sc-st-atrocities-violence-against-scheduled-caste-and-tribes-increases-dlva-2539360.html)
22. *ज़ी न्यूज चैनल* (2018), *भारत में हर* 15 *मिनट में एक दलित का होता है उत्पीड़न: मध्यप्रदेश,राजस्थान में हालात बुरे:* NCRB, 15 *मार्च* (https://zeenews.india.com/hindi/india/dalit-atrocities-increased-in-last-10-years-in-india-ncrb/380572)
23. *डीडब्ल्यू समाचार*, (2019), *मद्रास हाईकोर्ट ने दलितों के लिए अलग श्मशान पर उठाया सवाल:* 27 *अगस्त।*
24. *टी आर नवल* (2000), *लॉ ऑफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस, नई दिल्ली।*

25. अंतर्राष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश (1994), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
26. कश्यप, सुभाष (2001) हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
27. घुर्ये, जी.एस. (1950) कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पॉपुलर बुक डिपो, मुम्बई।
28. जी न्यूज चौनल (2018), भारत में हर 15 मिनट में एक दलित का होता है उत्पीड़न, मध्यप्रदेश–राजस्थान में हालात बुरेरू छब्त्त, 15 मार्च
29. ड्यूमा, लुईस (1980), होमो–हाईरारकस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो।
30. डीडब्ल्यू समाचार, (2019), मद्रास हाईकोर्ट ने दलितों के लिए अलग श्मशान पर उठाया सवाल, 27 अगस्त।
31. थोराट, सुखदेव (2004) द हिन्दू सोशल आर्डर एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ दलित्स, क्रिटिकल क्वेस्ट, नई दिल्ली।
32. ––––––––––––––. (2006), शिक्षा व्यवस्था और दलित समाज, बीबीसी हिंदी, 5 दिसंबर।
33. ––––––––––––, और निधि सदाना, (2009) कास्ट एंड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, जून।
34. देव अर्जुन, इंदिरा अर्जुन देव और सुप्ता दास (1998), मानव अधिकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
35. नवल, टी. आर. (2000), लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस, नई दिल्ली।
36. नायर, रवि (2006) मानवाधिकार और दलित समाज की स्थिति, बीबीसी हिंदी।
37. नैय्यर, कुलदीप (2017), दलित छात्रों से भेदभाव करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, प्रभासाक्षी 22 मार्च।
38. वार्षिक रिपोर्ट, (2016–17), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
39. श्रीनिवास, एम. एन. (1966), सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
40. सिन्हा, दिलीप (2016), अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, 7 मार्च।
41. हिंदी न्यूज 18 चौनल, (2019) इस राज्य में सबसे ज्यादा होता है दलितों पर अत्याचार, 22 अक्टूबर।
42. इंटरनेट स्रोत
43. https://nhrc-nic-in-
44. https://www-bbc-com/hindi/regionalnews/story/2006/12/061205_dalit_special_ravinair-
45. https://zeenews-india-com/hindi/india/dalit–जतवबपजपमे–पदबतमेंमक–पद–सेंज–10–लमंते–पद–पदकपं–दबतइध380572.
46. https://hindi-news18-com/news/knowledge/crimes&against&dalit&ncrb&data&of&sc&st&atrocities&violence&against&scheduled&caste&and&tribes&increases&dlva&2539360-html-
47. https://www-newindianeÛpress-com/states/tamil&nadu/2019/nov/24/human&rights&body&orders&magistrate&to&file&report&on&discrimination&against&dalit&children&2066409-html